कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।

क्रमांक : स्टोर/2025/09

दिनांक :- 26/9/25

For SPPP Portal

खुली निविदा सूचना–01/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जैसलमेर न्यायक्षेत्र में जिला मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय सहित विशिष्ठ न्यायालय एवं केन्द्रीकृत अभिलेखागार के लिये नवीन आयरन रैक्स आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित कुल लागत रु. 4,30,000/–, बोली प्रतिभूति राशि रु. 8600/– एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 100/–(Not Refundable) हैं। भरी हुई निविदाएं दिनांक 02/10/25 की सायं 03:00 पी.एम. तक इस कार्यालय में प्राप्त की जाकर दिनांक 02/10/25 की सांय 04:30 पी.एम. पर निविदादाताओं/ उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएंगी।

देरी से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबंधित समस्त अधिकार कार्यालय की उपापन समिति के पास सुरक्षित हैं। निविदा में वर्णित सामग्री की मात्रा में कमी/वृद्धि तथा निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने तथा स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।

निविदा के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण :–

क.स.	आईटम का प्रकार
1	न्यायालयों के लिये आयरन रैक्स 20 गेज हेवी, 03 शेल्फ, ग्रे कलर में पेन्टेड न्यूनतम साईज– ऊँचाई 36 ईंच X लम्बाई 33 इंच X चौडाई 15 इंच
2	अभिलेखागार के लिये रैक्स 20 गेज हेवी, 06 शेल्फ, ग्रे कलर में पेन्टेड न्यूनतम साईज– ऊँचाई 78 ईंच X लम्बाई 33 इंच X चौडाई 15 इंच *अभिलेखागार में यथास्थान रैक्स इन्सटॉलेशन तथा प्रत्येक रैक पर ''अभिलेखागार, जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर'' अंकित करावें।

संलग्न :– नमूना फोटो

निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डी.डी. /बैंकर चैक के माध्यम से निम्नानुसार जमा करवायी जाएगी :–

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर,

निविदा शुल्क :– 100.00 रू.

बोली प्रतिभूति राशि :– 8600 रू.

निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि डी.डी. एवं बैंकर चेक के माध्यम से जमा कराई जायेगी तथा मूल डी.डी./बैंकर चेक मय निविदा प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के अभाव में बोली निरस्त समझी जाएगी।

देरी से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबंधित समस्त अधिकार कार्यालय की उपापन समिति के पास सुरक्षित हैं। निविदा में वर्णित सामग्री की मात्रा में कमी/वृद्धि तथा निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने तथा स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।

निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जैसलमेर

कार्यालय :— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।

खुली निविदा सूचना–01/2025

:: निविदा प्रपत्र ::

निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– 02/10/25 को दोपहर 03.00 पीएम तक।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता :.....

.....मो.नं.....

2. निविदा प्रपत्र का शुल्क की राशि रु. /– जरिये चालान GRN No.

 दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न

3. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 100/– जरिये DD/BC No.

 दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है। संलग्न

4. बोली धरोहर राशि रु. 8,600/– जरिये DD/BC No.

 दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है। संलग्न

5. निविदादाता/फर्म के

 आधार नं..... जीएसटी. पंजीयन नंबर.....

 बैंक एकाउंट नंबर..... बैंकIFSC CODE

6. निविदादाता निम्नलिखित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज संलग्न करे।

 1. यदि फर्म एमएसएमई रजिस्ट्रर्ड हो तो फर्म का प्रमाण पत्र तथा प्रारूप 'ख' संलग्न करें।
 2. जीएसटी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
 3. पेन कार्ड की प्रति।
 4. साझेदारी फर्म हो तो साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति।
 5. कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

7. गत वर्षों के लिए कार्य/सप्लाई अनुभव, यदि हो तो प्रमाण पत्र/साक्ष्य संलग्न हैं। प्रति संलग्न करें।

मैं/हम श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा भरने संबंधी आवश्यक निर्देश

1. बोलीदाता निविदा प्रपत्र के सभी कॉलम स्पष्ट भरकर चाहे गये स्थान पर हस्ताक्षर करे एवं मुहर अंकित करें। निविदा में चाहे गए समस्त प्रपत्र कागजात की प्रतियां स्व–हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करे।
2. निविदा एवं संबंधित दस्तावेज मय वित्तीय बोली एक लिफाफे में डालकर सीलबन्द प्रस्तुत करे, उस पर सीमित निविदा 01/2025–26 लिखें। लिफाफे के नीचे बांयी ओर फर्म का नाम मोहर अंकित करे, अन्यथा निविदाए निरस्त की जा सकती हैं।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति डी.डी./बैंकर चेक के साथ अवश्य संलग्न करें। इसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।

खुली निविदा सूचना–01/2025

निविदा शर्तें

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताऐं रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (उपापन समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।

2. निविदा में प्रस्तुत दरों में कोई काट–छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

3. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर या शर्त सहित संबंधित आईटम की दर देने पर ऐसी दर अस्वीकार्य होगी।

4. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर तथा प्रभार सम्मिलित होंगे।

5. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सब–लेट) पर नहीं देगा।

6. निविदा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को निर्णीत करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता को बाध्य होगा।

7. निविदादाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से 15 दिन की अवधि के अंदर की जाएगी। प्रदाय सामग्री FOR इस कार्यालय के स्टोर रूम तक उपलब्ध करानी होगी।

9. प्रस्तुत की गई दरें 90 दिन तक की अवधि के लिये विधि मान्य रहेगी। इस अवधि में संविदा पत्र में वर्णित सामान निर्धारित मात्रा से कम/अधिक क्रय किया जा सकता है। आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर के पास सुरक्षित होंगे। यदि क्रेताधिकारी किसी

निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

10. सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, स्पेसीफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी, जिसका विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा सामग्री प्राप्त होने के समय निरीक्षण किया जाएगा।

11. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

12. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय 15 दिन के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

13. अमानत राशि / बोली प्रतिभूति (EARNEST MONEY)

(क) निविदा के समय लागत की दो प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में नियमानुसार प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर के पक्ष में जमा करानी होगी।

(ख) अमानत राशि का समपहरण अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाएगा –

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा पर अंतिम निर्णय करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को (यदि कोई हो) निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाए।

(4) जब निविदादाता विहित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार सामग्री प्रदाय करने में असफल रहे।

14. करार एवं कार्य प्रतिभूति निक्षेप –

(1) सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के 7 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिस सामान (आर्टिकल्स) के लिए उसकी निविदा स्वीकार की गई जनर्क निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में नियमानुसार जमा करानी होगी।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर

(2) निविदा के समय जमा कराई गई अमानत राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

(3) प्राप्त प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) अमानत एवं प्रतिभूति निक्षेप राशि के संबंध में निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फार्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप से या उसकी फोटो स्टेट प्रतियां राजपत्रित अधिकारी से विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने एवं नियमानुसार अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने पर अमानत एवं प्रतिभूति राशि के भुगतान से नियमानुसार छूट दी जाएगी।

(5) केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के उपक्रम अमानत एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

15 प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहृत किया जा सकेगा।

(क) निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।

(ख) निविदादाता द्वारा उसे दिए गए कार्यादेश संतोषजनक ढंग से पालना करने में असफल रहने पर।

16. भुगतान –

(1) क्रय राशि का भुगतान दिए गए कार्यादेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(2) सफल निविदादाता को कार्यादेश के अनुरूप प्रदाय की गई सामग्री का भुगतान उसके द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में GF&AR Rules के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

(3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।

(4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर व्यय शामिल होंगे।

17 परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है –

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
शिक्षा एवं खेल सामग्री
जयपुर

यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई का पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी का आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

18. वसूलियां परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक आईटम्स के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो निविदा दाताओं द्वारा जैसलमेर न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।

21. निविदा आईटम की दरों को स्वीकृत किये जाने जाने से पूर्व उपापन समिति द्वारा किसी भी सामग्री का सैम्पल उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर संबंधित कर्म को इसकी पालना करनी होगी।

22. उपापन समिति के द्वारा बोलियों के परीक्षण के उपरान्त सभी फर्मों के प्रस्तुत प्रलेखों एवं अन्य कागजात की जांच के पश्चात् योग्य बोलीदाता/संवेदक की क्यालिफाईड बिड का ही मूल्यांकन किया जावेगा एवं बोली स्वीकार की जायेगी। प्रस्तुत प्रलेखों एवं अन्य कागजात के तथ्य/सूचना गलत पाये जाने पर निविदां निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

23 निविदादाताओं की तरफ से कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं की जावेगी। इस निविदा के आंशिक/किसी भी भाग को/या पूर्ण रूप से बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जैसलमेर के पास सुरक्षित होगा। उपापन समिति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी।

24 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन्स आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश

निविदादाता के हस्ताक्षर

जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर।

निविदादातां घोषणा–पत्र

निविदा सूचना सं. 01/वर्ष 2025–2026 (रैक्स आपूर्ति)

मैसर्स.....निवासी.....
मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता हैं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके में/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/हैं।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/ हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं और वास्तव में खुली बोली में चाहा गया व्यवसाय मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 46 एवं नियम, 2013 के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है। मेरी/हमारी फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायिक वाद/अपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है तथा मेरी/हमारी फर्म वांछित व्यवसाय हेतु तकनीकी एवं आर्थिक रूप से कार्य करने हेतु पूर्णतया सक्षम हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य विधि सम्मत कार्यवाही, जो की जा सकती है. पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
दिनांक

अध्यक्ष (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर

कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।

क्रमांक स्टोर / 2025 / दिनांक :–

:: वित्तीय बोली ::
खुली निविदा संख्या 01 / 2025–26

कार्य का नाम – जैसलमेर न्यायक्षेत्र में जिला मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय सहित विशिष्ठ न्यायालय एवं केन्द्रीकृत अभिलेखागार के लिये नवीन आयरन रैक्स आपूर्ति का कार्य।

निविदा के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण :–

क्र. स.	आईटम का प्रकार	दर प्रति नग / ईकाई
1	न्यायालयों के लिये आयरन रैक्स 20 गेज हेवी, 03 शेल्फ, ग्रे कलर में पेन्टेड न्यूनतम साईज– ऊँचाई 36 ईंच X लम्बाई 33 इंच X चौडाई 15 इंच	
2	अभिलेखागार के लिये रैक्स 20 गेज हेवी, 06 शेल्फ, ग्रे कलर में पेन्टेड न्यूनतम साईज– ऊँचाई 78 ईंच X लम्बाई 33 इंच X चौडाई 15 इंच *अभिलेखागार में यथास्थान रैक्स इन्सटॉलेशन तथा प्रत्येक रैक पर "अभिलेखागार, जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर" अंकित करावें।	

नोट:– रैक्स की विशिष्टियों के मिलान हेतु नमूने के लिए इस कार्यालय से सम्पर्क करें।

उपर्युक्त प्रस्तुत की गई दरें 90 दिन की अवधि के लिये विधि मान्य रहेगी। इस अवधि में निविदा प्रपत्र में वर्णित सामान निर्दिष्ट मात्रा से कम / अधिक क्रय किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर तथा प्रभार सम्मिलित होंगे।

प्रस्तावित दरें समस्त कर / प्रभार सहित अंको एवं शब्दों दोनो में स्पष्ट अंकित करें, निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अंतर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति मे शब्दो में वर्णित दर पर विचार किया जाएगा।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

अध्यक्ष (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर